

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 287/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना फूलपुर: 10 वारण्टी गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण –

उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, हे0का0 अवधेश यादव व का0 आलोक सिंह, का0 सुरज पटेल द्वारा मा0 न्यायालय ए0सी0जे0 कोर्ट नम्बर-11 आजमगढ़ द्वारा मु0न0-296/2023 धारा 143/152/341/188/383/353 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ मे अभियुक्त 1. मिथुन गौड़ पुत्र स्व0 प्रेमचन्द गौड़ 02. नीरज गौड़ पुत्र स्व0 रामनयन गौड़ उर्फ तुफानी 3. भोला उर्फ सत्रुधन गौड़ पुत्र स्व0 प्रेमचन्द गौड़ 4. दरश पुत्र झीनक 5.त्रिलोकी पुत्र लालसा6. निरंजन पुत्र झीनक 7. बेचई उर्फ शैलेश पुत्र झिनक समस्तनिवासीगण मद्धुपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध जारी गैरजमानतीय वारण्ट की तामिला/गिरफ्तारी हेतु अभि0गण उपरोक्त के घर दबिश दिया गया अभि0गण उपरोक्त अपने अपने घर के बाहर मौजूद मिले जिन्हे मा0 न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट दिखाकर समय 10-15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

उ0नि0 शिवशरण सिंह मय हमराह हे0का0 धर्मेन्द्र गिरी का0 अरविन्द यादव व का0 अमरजीत व का0 सोनू यादव व का0 दयाशंकर यादव द्वारा मा0 न्यायालय ग्रामीण फूलपुर आजमगढ़ मु0न0-624/25 एनसीआर न0- 112/20 धारा 323/504 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़ अभि0गण 1.मोजीज पुत्र स्व0 सरवर 2. ताजू उर्फ मो0 असगर पुत्र स्व0 सरवर 3.यासिर पुत्र स्व0 सरवर समस्त निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट की तामिला/गिरफ्तारी हेतु अभि0गण 1.मोजीज पुत्र स्व0 सरवर 2. ताजू उर्फ मो0 असगर पुत्र स्व0 सरवर 3.यासिर पुत्र स्व0 सरवर समस्त निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के घर पर दबिश दिया गया अभि0गण उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिले मा0न्या0 से निर्गत गैरजमानतीय वारण्ट दिखाकर समय करीब 10.15 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1-उ0नि0 श्री अजय प्रताप सिंह, हे0का0 अवधेश यादव व का0 आलोक सिंह, का0 सुरज पटेल
उ0नि0 शिवशरण सिंह हे0का0 धर्मेन्द्र गिरी का0 अरविन्द यादव व का0 अमरजीत व का0 सोनू यादव व का0 दयाशंकर यादव थाना फूलपुर आजमगढ़।



02.थाना बिलरियागंज: चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 12.08.25 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस लेकर मसीरपुर पुलिया से तेन्दुआ नहर की तरफ से आ रहा है वह उक्त वाहन को कही बेचने की फिराक में जा रहा है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, तेन्दुआ नहर पुलिया से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम बृजभान यादव पुत्र राजकुमार उर्फ खरचु यादव नि0 ऊचाडीह सलेमपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया । बृजभान उपरोक्त के पास से एक अदद चाकू व 120 रु0 प्राप्त हुआ । ई-चालान एप के माध्यम से उक्त वाहन का विवरण चेचिस नम्बर से चेक किया गया तो उक्त मोटरसाईकिल के वाहन स्वामी का नाम दिनेश जयसवाल पुत्र फेकु जयसवाल नि0 पड़री परानपुर भीमबर आजमगढ़ अर्कित है, तथा वाहन का नम्बर यू0पी0 50 बी0के0 5782 है, उक्त वाहन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं 247/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है, जिसकी तलाश की जा रही थी पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब मेरे साथ मेरा दोस्त सचीन कुमार पुत्र तुफानी राम नि0 मार्हाकर्मनाथ पट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ थे हम लोगो ने मिलकर दिनांक 04/05.08.2025 को रात्रि मे भीमबर बाजार देशी ठेके के सामने से गाड़ी को चुराया था, मै इस गाड़ी को बेचने जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त के पास बरामदगी व बयान के आधार पर मु0अ0सं0 247/25 धारा 303(2) बीएनएस मे अभियुक्त बृजभान यादव पुत्र राजकुमार उर्फ खरचु यादव नि0 ऊचाडीह सलेमपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष तथा सचिन कुमार पुत्र तुफानी राम नि0 मार्हाकर्मनाथ पट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे लाते हुए धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । अभियुक्त समय करीब 06.20 बजे तेन्दुआ नहर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-1. मु0अ0सं0 255/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़ आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 247/25 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 253/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 296/25 धारा 303(2),317(2)/बीएनएस थाना रौनापार आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 297/25 धारा 303(2), 317(2)/ बीएनएस थाना रौनापार आजमगढ़

बरामदगी ---

- 1- एक अदद चोरी की मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस काली कलर
- 2- एक अदद चाकू
- 3- 120 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता--

1. अभियुक्त बृजभान यादव पुत्र राजकुमार उर्फ खरचु यादव नि0 ऊचाडीह सलेमपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 लवकुश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



03.थाना गम्भीरपुर: हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 11.08.2025 को विपक्षी/अभियुक्त शिव उर्फ संग्राम निवासी सुरजनपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक श्यामलाल पुत्र स्व० निरहू ग्राम सुरजनपुर पो० विषहम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के लडके शिव उर्फ संग्राम को आपसी झगड़े में सड़क पर रखी ईंट उठाकर जान से मारने की नियत से सिर पर मार दिया जिससे मौके पर ही शिव उर्फ संग्राम की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-237/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 11.08.2025 को थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मेवालाल पुत्र केशव आदिवासी ग्राम सुरजनपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 08.25 AM दिनांक 12.08.2025 को ग्राम सुरजनपुर ईदगाह के पास खेत से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि कल दिनांक 11.08.2025 को सुबह 10.30 बजे के आस पास मेरे गांव के शिव उर्फ संग्राम व मुझसे आपस में कहा सुनी व मारपीट हुई थी तथा उसने मेरी बेईज्जती की थी तब मैंने सोचा की इसको जान से मारकर अपने अपमान का बदला लूंगा और वही पास रखी ईंट को उठाकर जान से मारने के लिए उसके सिर पर वार किया और वह जमीन पर गिर गया। जब शिव उर्फ संग्राम मर गया तो मैं ईंट को एक झाड़ी में छुपा दिया तथा वहाँ से भाग गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु०अ०सं० 237/2025 धारा 103(1) बी०एन०एस० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मेवालाल पुत्र केशव आदिवासी ग्राम सुरजनपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
2. उ०नि० श्री ज्ञान प्रकाश यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
3. उ०नि० श्री योगेश कुमार सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।



04.थाना दीदारगंज: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण:-

वादिनी ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.सिद्धान्त पुत्र सूर्यभान 2. आकाश पुत्र घनश्याम निवासीगण ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 224/25 धारा 137(2) BNS बनाम 1.सिद्धान्त पुत्र सूर्यभान 2. आकाश पुत्र घनश्याम निवासीगण ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराये थे। विवेचना के दौरान धारा 65(1) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 12.08.2025 को उ0नि0 सुदेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सिद्धान्त पुत्र सूर्यभान निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, फुलेश बाजार से समय करीब 09.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.सिद्धान्त पुत्र सूर्यभान निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1. 224/25 धारा 137(2), 65(1) BNS व 5एम/6 पाक्सो दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. का0 सुधांशु यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़



05.थाना- बरदह: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 2-8-25 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 01-8-25 को सुबह करीब 10.00 बजे विपक्षी सेराज पुत्र रियाजु अंसारी मेरी बेटी उम्र 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया जब वादिनी विपक्षी के घर पूछने गयी तो उसके पिता रियाजु अंसारी और उसकी माता अफसाना अंसारी मेरे साथ गाली-गलौज करने लगी उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/25 धारा 137(2),87,352 BNS बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 12.08.25 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सेराज पुत्र रियाजु अंसारी ग्राम बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को मुखबिर खास की सूचना पर जिवली मोड से समय 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- सेराज पुत्र रियाजु अंसारी ग्राम बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 232/25 धारा 137(2),87 BNS व 3(2)5 SC/ST ACT थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना बरदह, आजमगढ़

2. का0 ललित सरोज थाना बरदह, आजमगढ़



06. थाना रौनापार: चोरी की 03 मोटरसाइकिल के साथ 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना –

वादी मुकदमा मनोज यादव पुत्र गोरख यादव निवासी ग्राम सुदनीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 09.08.25 की रात्रि में अपनी मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 50BXXX घर के बरामदे में लाकर खड़ा किया था जिसे अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 10.08.25 को मु0अ0सं0 296/25 धारा 303 (2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रचलित है तथा वादी मुकदमा दिनेश यादव पुत्र रामजीत निवासी ग्राम देवारा इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 10.08.25 को थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 09.08.25 की रात्रि में वादी की पत्नी के नाम से पंजीकृत मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 50AN XXXX घर के बरामदे में लाकर खड़ी करके सो जाने व उक्त मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों के द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 297/25 धारा 303 (2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 शिवम मिश्र द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक-12.08.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 बाल अपचारी को समय करीब 02.05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इनकी निशान देही पर चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। रसूलपुर नन्दलाल से भीमबर की तरफ आ रहे हैं। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0-296/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 297/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रौनापार आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 263/25 धारा 303(2)/317(4) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

बरादगी-

चोरी की 03 मोटर साइकिल।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना रौनापार आजमगढ़।
2. उ0नि0 शिवम मिश्र थाना रौनापार आजमगढ़।
3. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्र सर्विलांस टीम आजमगढ़।
4. क0आ0 चन्द्रमा मिश्रा सर्विलांस सेल आजमगढ़।

